



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 श्रावण 1948 (श10)
(सं० पटना 878) पटना, वृहस्पतिवार, 23 जुलाई 2026

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना
22 जुलाई, 2026

सं० वि०सं०वि०-36/2026-3386/वि०सं०।—“शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2026”, जो बिहार विधान सभा में दिनांक-22 जुलाई, 2026 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,
पूनम सिन्हा,
प्रभारी सचिव ।

शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2026

[वि०स०वि०-32/2026]

बिहार राज्य में "शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय" नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना एवं समावेशन हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के 77वें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।—

- (1) इस विधेयक को "शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2026" कहा जा सकेगा।
- (2) मुजफ्फरपुर प्रौद्योगिकी संस्थान, मुजफ्फरपुर नामक संस्था, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से, "शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय" का संबद्ध महाविद्यालय होगा।
- (3) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (4) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

2. परिभाषाएँ ।— जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में —

- (1) "अकादमिक परिषद्" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का अकादमिक परिषद्;
- (2) "संबद्ध संस्था" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय से संबद्ध शिक्षण संस्था;
- (3) "संबद्धता" से अभिप्रेत है परिनियम (स्टेच्यूट) एवं इस प्रयोजनार्थ बनायी गयी विनियमावलियों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा की गयी संबद्धता;
- (4) "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्" से अभिप्रेत है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 केन्द्रीय अधिनियम सं० 52) के अधीन गठित परिषद्;
- (5) "कुलाधिपति" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलाधिपति;
- (6) "मुख्यमंत्री" से अभिप्रेत है बिहार राज्य का मुख्यमंत्री;
- (7) "महाविद्यालय" से अभिप्रेत है महाविद्यालय जो अभियंत्रण और प्रौद्योगिकी में स्नातक या उच्चतर स्तर की डिग्री के पाठ्यक्रम की शिक्षा दे रहा हो;
- (8) "वास्तु परिषद्" से अभिप्रेत है वास्तुविद् अधिनियम 1972 (1972 का अधिनियम 20) की धारा 3 के अधीन गठित परिषद्;
- (9) "पाठ्यक्रम" से अभिप्रेत है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् और अन्य संबंधित शीर्ष नियामक निकाय द्वारा यथा अनुमोदित पाठ्यक्रम;
- (10) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति;
- (11) "कार्यकारिणी परिषद्" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद्;
- (12) "वित्त समिति" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की वित्त समिति;
- (13) "सामान्य परिषद्" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की सामान्य परिषद्;
- (14) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार;
- (15) "संस्था" से अभिप्रेत है शैक्षणिक संस्था या महाविद्यालय जो अभियंत्रण और प्रौद्योगिकी में स्नातक या उच्च स्तर की डिग्री के पाठ्यक्रमों की शिक्षा दे रहा हो;
- (16) "कदाचार" से अभिप्रेत है परिनियम द्वारा विहित कदाचार;
- (17) "अधिसूचना" से अभिप्रेत है राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना;
- (18) "प्राचार्य" से अभिप्रेत है किसी महाविद्यालय का प्राचार्य और इसमें जहाँ प्राचार्य न हों, वह व्यक्ति जो तत्समय प्राचार्य के रूप में कार्य करने हेतु सम्यक् रूप से नियुक्त किया जाये, सम्मिलित है;
- (19) "नामांकन में आरक्षण" से अभिप्रेत है इस विधेयक की धारा -8 के अधीन परिभाषित नामांकन में आरक्षण;
- (20) "स्क्रीनिंग समिति" से अभिप्रेत है इस विधेयक की धारा 11(3) के अधीन गठित समिति;
- (21) "परिनियम" एवं "विनियमावली" से क्रमशः अभिप्रेत है तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय का परिनियम एवं विनियमावली;

- (22) "तकनीकी शिक्षा" से अभिप्रेत है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा यथा परिभाषित तकनीकी शिक्षा;
 - (23) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन समावेशित "शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय";
 - (24) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (अधिनियम-3, 1956) की धारा -4 के अधीन स्थापित आयोग;
 - (25) "विश्वविद्यालय समीक्षा आयोग" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा- 35 के अधीन परिभाषित आयोग;
 - (26) "कुलपति" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलपति;
- इस विधेयक में प्रयुक्त और अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो विधेयक में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित है;

3. निगमन ।—

- (1) "शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय" के नाम से एक विश्वविद्यालय, उस तिथि के प्रभाव से, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, स्थापित किया जायगा जिसमें कुलाधिपति और कुलपति, सामान्य परिषद्, विश्वविद्यालय की कार्यकारणी परिषद् एवं अकादमिक परिषद् के प्रथम सदस्य, और ऐसे अन्य व्यक्ति होंगे जो इसके पश्चात् ऐसे पद पर या सदस्य के रूप में नियुक्त किए जायें और वे अपने पद पर जब तक बने रहें अथवा जबतक उनकी सदस्यता बनी रहे।
- (2) विश्वविद्यालय, इस विधेयक के प्रावधानों के अधीन संपत्ति को अर्जित करने, धारित करने एवं व्ययनित करने तथा संविदा करने और उक्त नाम से वाद लाने अथवा अपने विरुद्ध वाद लाये जाने की शक्ति के साथ शाश्वत उत्तराधिकार एवं सामान्य मुहर रखने वाला पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा।
- (3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय मुजफ्फरपुर में होगा।

4. अधिकारिता ।—

- (1) विश्वविद्यालय की अधिकारिता का विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा;
- (2) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अथवा अन्य शीर्ष विनियामक निकाय द्वारा अनुमोदित अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी के वे सभी पाठ्यक्रम, जो भविष्य में मुजफ्फरपुर प्रौद्योगिकी संस्थान, मुजफ्फरपुर द्वारा संचालित किए जाएंगे, ऐसी तिथि से जो सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जाय और ऐसी रीति से जो इस संबंध में बनाए गए परिनियमों अथवा विनियमों द्वारा विहित हो, विश्वविद्यालय से संबद्ध होने के पात्र होंगे।
- (3) तत्समय प्रवृत्त राज्य के किसी कानून में किसी बात के होते हुए भी, मुजफ्फरपुर प्रौद्योगिकी संस्थान, मुजफ्फरपुर की बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय से संबद्धता समाप्त हो जायेगी और उक्त अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट तिथि से उसे इस विश्वविद्यालय से संबद्ध माना जायेगा।
- (4) ऐसी सभी संस्थाएँ विश्वविद्यालय से संबद्ध होंगी, जो केवल वास्तुकला या असैनिक अभियंत्रण के मूल, अंतर्विषयी तथा संबद्ध विषयों/शाखाओं के लिए, मानकीकृत शैक्षणिक नामकरण के अनुसार स्थापित होंगी तथा इनमें शिक्षण एवं अनुसंधान शामिल होंगे।
- (5) विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों और संस्थाओं पर ऐसी शर्तों और निबंधनों को अधिरोपित कर सकेगा जिसे वह विश्वविद्यालय के सभी अथवा किसी उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु आवश्यक, अनुकूल अथवा आनुषंगिक समझें एवं तब संबद्धता प्रदान करेगा।

5. विश्वविद्यालय के उद्देश्य ।— विश्वविद्यालय का उद्देश्य सामान्य रूप से मानव जाति के जीवन की गुणवत्ता के उन्नयन के लिए वातावरण विकसित करना और अभियंत्रण और तकनीकी विकास और अनुप्रयोगों के क्षेत्र के संबंध में वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण और अन्य संकाय तथा विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, के ज्ञान को विकसित करना होगा। विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार होंगे—

1. वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण तथा उससे संबद्ध विषयों के मूल, अंतर्विषयक एवं उभरते हुए क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट तथा पोस्ट-डॉक्टरेट शिक्षा प्रदान करना।
2. वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण एवं संबंधित विषयों में मौलिक, अंतर्विषयक एवं उन्नत शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना।
3. तकनीकी ज्ञान, व्यावसायिक कौशल, उद्यमिता, परामर्श सेवाओं तथा अभियान्त्रिकी दक्षताओं के विकास हेतु विभिन्न स्तरों पर आवश्यक क्षमताओं का निर्माण करना।
4. वैज्ञानिक नवाचार तथा अनुसंधान परिणामों के व्यावसायीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए नवाचार केंद्र, प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर, अनुसंधान पार्क, स्टार्टअप सहायता प्रणाली तथा बौद्धिक संपदा सुविधा केंद्र स्थापित करना।
5. पठन-पाठन, अनुप्रयोग तथा अनुसंधान पद्धतियों में गुणात्मक सुधार को बढ़ावा देने हेतु आधुनिक प्रयोगशालाओं, डिजिटल प्रौद्योगिकियों, उन्नत उपकरणों तथा वैज्ञानिक अवसंरचना के माध्यम से आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
6. शैक्षणिक तथा व्यवसायिक ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, उद्योगों, सरकारी एजेंसियों, शहरी स्थानीय निकायों तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग स्थापित करना।
7. टिकाऊ बुनियादी संरचना, स्मार्ट सिटी, नदी प्रबंधन, परिवहन प्रणाली, किफायती आवास, पर्यावरणीय स्थिरता, जलवायु अनुकूलन, आपदा सहनशीलता, ग्रामीण विकास तथा अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों से संबंधित राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पहलों में योगदान देना।
8. संबद्ध संस्थानों को वास्तुकला, असैनिक अभियंत्रण एवं अवसंरचना विकास के विविध क्षेत्रों में विशिष्ट अध्ययन तथा कौशल-विकास कार्यक्रम संचालित करने में सक्षम बनाना।
9. अभियंताओं, वास्तुकारों, सरकारी अधिकारियों तथा उद्योग जगत के पेशेवरों के लिए सतत् शिक्षा, व्यावसायिक विकास तथा कौशल उन्नयन के अवसर उपलब्ध कराना।
10. समाज की आवश्यकताओं, विकास योजनाओं तथा औद्योगिक मांगों की पूर्ति के लिए गुणवत्ता युक्त मानव संसाधनों का विकास एवं उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

6. विश्वविद्यालय की शक्तियाँ एवं कृत्य।— विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कृत्य होंगे, यथा:—

- (1) अभियान्त्रिकी और प्रौद्योगिकी से संबंधित ज्ञान या सीखने की ऐसी शाखाओं में अनुदेश, प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रदान करना जो विश्वविद्यालयों के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक हों;
- (2) शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के अंतरराष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने के लिए अभियान्त्रिकी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई विधियों और प्रौद्योगिकियों का नवीन प्रयोग करना;
- (3) अध्ययन के पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या को निर्धारित करना और इलेक्ट्रॉनिक और दूरस्थ शिक्षा सहित शिक्षा प्रणालियों और वितरण पद्धतियों में लचीलापन लाना;
- (4) परीक्षाएं आयोजित करना और डिग्री प्रदान करना, या ऐसी शर्तों के अधीन व्यक्तियों को प्रमाण पत्र और अन्य शैक्षणिक उपाधियाँ या विशेष सम्मान प्रदान करना, जैसा कि विश्वविद्यालय निर्धारित करे, और ऐसी किसी भी डिग्री, प्रमाणपत्र या अन्य शैक्षणिक उपाधियों या विशेष सम्मान को वापस लेना या रद्द करना;
- (5) विहित रीति से मानद उपाधियाँ या अन्य विशेष सम्मान प्रदान करना;
- (6) अनुसंधान और अन्य कार्यों के मुद्रण, पुनरुत्पादन और प्रकाशन की व्यवस्था करना और प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं, सेमिनारों, सम्मेलनों आदि का आयोजन करना;
- (7) अभियान्त्रिकी और प्रौद्योगिकी के सभी पहलुओं में अनुसंधान को प्रायोजित करना और जिम्मेदारी लेना;
- (8) विश्वविद्यालय के पूर्णतः अथवा अंशतः उद्देश्य को रखते हुए शिक्षकों, विद्वानों, औद्योगिक विशेषज्ञों के आदान-प्रदान के माध्यम से और आम तौर पर इस तरह से जो

- उनके आम उद्देश्यों के अनुकूल हो दुनिया के किसी भी हिस्से में शैक्षिक/औद्योगिक या अन्य संस्थाओं के साथ संबंध विकसित करना और बनाए रखना;
- (9) विश्वविद्यालय के लिए शैक्षणिक, तकनीकी, प्रशासनिक प्रबंधकीय, सलाहकार, अनुसंधान और अन्य सहायक सेवाओं के पदों पर यथा आवश्यक नियुक्ति करना;
 - (10) स्टाफ की सभी कोटियों की सेवाओं की उनके आचार संहिता सहित, शर्तों को अधिकथित करना;
 - (11) विश्वविद्यालय से संबद्ध स्ववित्तपोषित संस्थाओं के छात्रों से उद्ग्रहित किये जाने वाले फीस एवं अन्य चार्जों (प्रभारों) को विनियमित करना;
 - (12) सभी हितधारकों के साथ समन्वय कर यथापेक्षित पाठ्यक्रम का विकास और संशोधन करना;
 - (13) शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के साथ अन्य संबंधित विभाग, बिहार सरकार और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वास्तु परिषद् (सी०ओ०ए०) जैसे शीर्ष नियामक निकायों के साथ संपर्क करना;
 - (14) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दुनिया के किसी भी हिस्से में शिक्षकों, शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों के साथ संबंध विकसित करना और बनाए रखना;
 - (15) विश्वविद्यालय के व्यय का विनियमन, वित्त का प्रबंधन और लेखा का संधारण करना;
 - (16) विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए और विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के अनुरूप अनुदान, आर्थिक सहायता, चंदा, दान और उपहार प्राप्त करना और केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य प्राधिकरणों या निकायों के साथ कोई अनुदान प्राप्त करने के लिए कोई करार करना;
 - (17) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों और प्रयोजन के लिए उपहार, दान, चंदा, वसीयत के रूप में उद्योग, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों या किसी अन्य स्रोत से धन प्राप्त करना;
 - (18) फीस और ऐसे अन्य प्रभार जो विहित किए जाएँ को नियत करना, मांगना और प्राप्त करना या वसूल करना;
 - (19) फेलोशिप, छात्रवृत्ति, पारितोषिक, मेडल तथा अन्य पुरस्कारों को संस्थित करना तथा देना;
 - (20) विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए किसी भी भूमि या भवन या कार्यों को, ऐसे निबंधन और शर्तों पर जो वह ठीक समझे, खरीदना या पट्टे पर लेना या उपहार के रूप में स्वीकार करना या अन्यथा जो आवश्यक या सुविधाजनक हो तथा ऐसे किसी भवन या कार्य का निर्माण, परिवर्तन और अनुरक्षण करना;
 - (21) विश्वविद्यालय की चल या अचल संपत्तियों के सभी या किसी भी हिस्से को ऐसी शर्तों पर बेचना, विनिमय करना, पट्टे पर देना या अन्यथा निपटान करना जैसा कि वह उचित समझे, विश्वविद्यालय के हित, गतिविधियों और उद्देश्यों के लिए सुसंगत हो; परन्तु अचल संपत्तियों के मामले में सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक होगी।
 - (22) विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के बीच अनुशासन को विनियमित और लागू करना और ऐसे अनुशासनात्मक उपायों की व्यवस्था करना जो विहित किए जाएँ;
 - (23) विश्वविद्यालय के किसी अन्य पदाधिकारी या प्राधिकारी को अपनी सभी या किसी भी शक्ति (विनियम बनाने की शक्ति को छोड़कर) को प्रत्यायोजित करना और ऐसे अन्य कार्य और चीजें करना जो विश्वविद्यालय उचित समझे और जो विश्वविद्यालय के सभी या किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति या वृद्धि के लिए अनुकूल या अनुषांगिक हो।

7. लिंग, वर्ग या पंथ का ध्यान न रखते हुए सभी व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय का खुला रहना।— विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए चाहे उनका लिंग, जाति, पंथ, मूलवंश या वर्ग जो भी हो, खुला रहेगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि किसी व्यक्ति पर किसी प्रकार के उसके धार्मिक विश्वास अथवा पेशे की जाँच, विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में नियुक्त कर पदधारण करने के लिए उसको हकदार बनाने हेतु अथवा विश्वविद्यालय के छात्र अथवा स्नातक के रूप में नामांकित होने के लिए अथवा उसके विशेषाधिकार का उपभोग या प्रयोग करने हेतु अंगीकृत या अधिरोपित की जाये।

परन्तु इस धारा की किसी बात से महिला, शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों अथवा समाज के सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए नियोजन अथवा नामांकन के लिए विशेष प्रावधान करने से विश्वविद्यालय को निवारित करना नहीं समझा जायेगा।

8. नामांकन में आरक्षण।—बिहार राज्य अंतर्गत शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकन हेतु समय-समय पर लागू उर्ध्वधर आरक्षण के प्रावधानों पर प्रभाव डाले बिना विश्वविद्यालय से संबद्ध प्रत्येक संस्था एवं महाविद्यालय में पाठ्यक्रमवार एवं कोटिवार कुल सीटों का एक तिहाई महिला अभ्यर्थियों के नामांकन के लिए क्षैतिज रूप में आरक्षित रहेंगी।

परन्तु इस लाभ के लिए केवल बिहार राज्य की निवासी महिलाएं ही पात्र होगी। पात्र महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी शैक्षणिक सत्र में रिक्त सीटों को संगत कोटि (आरक्षित/गैर आरक्षित) के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

इन प्रावधानों को लागू करने हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर यथापेक्षित आदेश निर्गत किया जा सकेगा।

9. कुलाधिपति।—

- (1) बिहार के मुख्यमंत्री अपने पद के फलस्वरूप विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे।
- (2) कुलाधिपति, जब उपस्थित हों, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह और सामान्य परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।
- (3) कुलाधिपति को विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय या संस्था, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं एवं उपकरणों और यथास्थिति, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्था द्वारा संचालित परीक्षा, शिक्षण एवं किये गये अन्य कार्यों का भी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिसे या जिन्हें वे निदेशित करें, निरीक्षण करवाने तथा, यथास्थिति, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्था के प्रशासन अथवा वित्त से जुड़े किसी विषय के संबंध में दी गयी रीति से जाँच करवाने का अधिकार होगा।
- (4) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में, विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालयों या संस्थाओं को, उनका निरीक्षण या जाँच करवाने हेतु अपने आशय की सूचना देंगे तथा यथास्थिति, विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों या संस्थाओं को ऐसी सूचना प्राप्त होने पर कुलाधिपति के समक्ष, ऐसा अभ्यावेदन, जो आवश्यक समझे, सूचना में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, देने का अधिकार होगा।
- (5) विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा संस्था द्वारा दिये गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचारण के बाद, कुलाधिपति उपधारा (3) में यथा निर्देशित निरीक्षण या जाँच करवा सकेंगे।
- (6) जहाँ निरीक्षण या जाँच—पड़ताल कुलाधिपति द्वारा करवायी गयी हो वहाँ विश्वविद्यालय एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा जिसे उस निरीक्षण अथवा जाँच में उपस्थित होने और सुने जाने का अधिकार होगा।
- (7) कुलाधिपति, उपधारा (3) में यथानिर्देशित उस निरीक्षण या जाँच के परिणाम के संबंध में कुलपति को संबोधित कर सकेंगे और कुलपति, कुलाधिपति के विचारों को, उस सलाह के साथ, जो उसपर कार्रवाई करने हेतु कुलाधिपति द्वारा दिया गया हो, कार्यकारिणी परिषद् को संसूचित कर देंगे।
- (8) यदि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय या संस्था के संबंध में निरीक्षण या जाँच की गयी हो तो कुलाधिपति उस निरीक्षण या जाँच के परिणाम के बारे में उस पर अपने विचार कुलपति के माध्यम से कार्यकारिणी परिषद् को संबोधित करेंगे तथा उस पर कार्रवाई करने की ऐसी सलाह देंगे, जैसा वह चाहें।
- (9) कार्यकारिणी परिषद् कुलपति के माध्यम से, उस कार्रवाई को, यदि कोई हो, जिसका उस निरीक्षण अथवा जाँच के परिणाम पर करने का प्रस्ताव हो अथवा की गयी हो, कुलाधिपति को संसूचित करेगी।
- (10) जहाँ, यथास्थिति, कार्यकारिणी परिषद्, युक्तियुक्त समय के भीतर, कुलाधिपति का समाधान करने वाली कार्रवाई नहीं करे वहाँ कुलाधिपति कार्यकारिणी परिषद् द्वारा दिये गए

- स्पष्टीकरण अथवा दिये गए अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद, ऐसे निदेश जारी कर सकेंगे जैसा वे उचित समझें तथा कार्यकारिणी परिषद् उन निदेशों का अनुपालन करेगी।
- (11) इस धारा के पूर्ववर्ती प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलाधिपति, लिखित आदेश द्वारा, विश्वविद्यालय की किसी कार्यवाही को बातिल कर सकेंगे जो इस विधेयक, परिनियम, विनियम के अनुरूप न हो, परन्तु कोई ऐसा आदेश करने के पूर्व, कुलाधिपति, रजिस्ट्रार को कारण दर्शाने हेतु कहेंगे कि क्यों नहीं ऐसा आदेश पारित किया जाय और यदि युक्तियुक्त समय-सीमा के भीतर कारण दर्शाया जाता हो तो वे उस पर विचार करेंगे।
- (12) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या पदाधिकारियों के बीच किसी भी मामले पर मतभेद की दशा में जिसे अन्यथा हल नहीं किया जा सकता है, कुलाधिपति का निर्णय अंतिम होगा।
- (13) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियाँ होगी जो परिनियम द्वारा विहित किए जायें।
- 10. विश्वविद्यालय के पदाधिकारी।—** विश्वविद्यालय के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे—
- (1) कुलपति,
 - (2) डीन,
 - (3) रजिस्ट्रार,
 - (4) वित्त पदाधिकारी,
 - (5) परीक्षा नियंत्रक,
 - (6) पुस्तकालयाध्यक्ष,
 - (7) ऐसे अन्य पदाधिकारी जिन्हें परिनियम द्वारा विश्वविद्यालय का पदाधिकारी होना घोषित किया जाये।
- 11. कुलपति।—**
- (1) कुलपति अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले शिक्षाविद् और प्रतिष्ठित विद्वान या एक प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकीविद् या वास्तुकला या असेैनिक अभियंत्रण की पृष्ठभूमि के साथ मानव संसाधन विकास में पर्याप्त अनुभव रखने वाले एक प्रशासक होंगे।
 - (2) कुलपति, कुलाधिपति द्वारा उपधारा (3) के अधीन गठित एक स्क्रीनिंग समिति द्वारा अनुशंसित (नाम वर्णाक्रम से व्यवस्थित होंगे) कम से कम तीन व्यक्तियों के पैनल में से कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किये जायेंगे; परन्तु कुलाधिपति इस प्रकार अनुशंसित व्यक्तियों में से किसी को अनुमोदित नहीं करें तो वे नयी अनुशंसाओं की माँग कर सकेंगे।
 - (3) उपधारा (2) में निर्देशित स्क्रीनिंग समिति में तीन सदस्य होंगे जिनमें एक कार्यकारिणी परिषद् द्वारा, एक कुलाधिपति द्वारा और एक सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट होंगे और सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति समिति के संयोजक होंगे; परन्तु समिति का कोई भी सदस्य विश्वविद्यालय का कर्मचारी नहीं होगा; परन्तु यह और कि पैनल उन अभ्यर्थियों के बीच से तैयार किया जायगा जो अपना बायोडाटा समर्पित करते हैं अथवा वास्तुकला या असेैनिक अभियंत्रण क्षेत्र में कुछ ख्याति प्राप्त व्यक्तियों अथवा संस्थाओं द्वारा प्रायोजित किये जाते हैं।
 - (4) प्रथम कुलपति सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।
 - (5) कुलपति अपना पदग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों के लिए पदधारण करेंगे; परन्तु कुलाधिपति, कुलपति की पदावधि की समाप्ति के पश्चात उनसे उस अवधि तक, जो उनके द्वारा कुल तीन वर्षों से अनधिक विनिर्दिष्ट हो, पद पर बने रहने की अपेक्षा कर सकेंगे। परन्तु यह भी कि कुलपति के पद पर बने रहने के लिए अधिकतम आयु सीमा पचहत्तर वर्ष होगी।
 - (6) कुलपति की परिलब्धियाँ एवं अन्य सेवाशर्तें वही होंगी जो परिनियम द्वारा विहित की जाय।
 - (7) यदि कुलपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, अथवा अन्यथा खाली हो जाय अथवा यदि अस्वस्थता या किसी अन्य कारण से वे अपने कर्तव्यों का अनुपालन करने में असमर्थ हों

तो कुलाधिपति किसी लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति को कुलपति के कृत्यों का निष्पादन तब तक करने के लिए पदाविहित करेंगे जब तक, यथास्थिति, नये कुलपति कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेते अथवा जब तक विद्यमान कुलपति अपने कर्तव्य पर उपस्थित नहीं हो जाते।

12. कुलपति की शक्तियाँ, कर्तव्य एवं कृत्य ।—

- (1) कुलपति विश्वविद्यालय के प्रधान कार्यपालक एवं शैक्षणिक पदाधिकारी होंगे और विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण का प्रयोग करेंगे तथा विश्वविद्यालय के प्राधिकारों के विनिश्चयों को प्रभावी करेंगे।
- (2) कुलपति, यदि उनकी राय हो कि किसी विषय पर तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है, इस विधेयक द्वारा या इसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकेंगे और अगली बैठक में उनके द्वारा उस विषय में उस प्राधिकार को की गयी कार्रवाई के संबंध में प्रतिवेदन देंगे;
परन्तु शक्ति का इस प्रकार प्रयोग केवल आपात स्थितियों में किया जायेगा और किसी भी दशा में पदों के सृजन और उत्क्रमण तथा उसपर नियुक्तियों के संबंध में इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा;
परन्तु यह और कि यदि संबंधित प्राधिकार की राय हो कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए तो उस विषय को कुलाधिपति को संदर्भित कर सकेंगे जिनका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा;
परन्तु यह और भी कि विश्वविद्यालय की सेवा में कोई व्यक्ति जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई से व्यथित हो तो उसे, जिस तिथि को विनिश्चय, उसे संसूचित किया गया हो, से तीन माह के भीतर कुलाधिपति को उस कार्रवाई के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होगा और तब कुलाधिपति, कुलपति द्वारा की गयी कार्रवाई को संपुष्ट, उपांतरित अथवा उलट सकेंगे।
- (3) यदि कुलपति की राय हो कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार का कोई विनिश्चय इस विधेयक, परिनियम या विनियम के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार की शक्तियों के बाहर है अथवा किया गया कोई विनिश्चय विश्वविद्यालय के हित में नहीं है, तो संबंधित प्राधिकार से उस विनिश्चय की समीक्षा उस विनिश्चय को तिथि से साठ दिनों के भीतर करने हेतु कहेंगे और यदि वह प्राधिकार उस विनिश्चय का समीक्षा पूर्णतः या अंशतः करने से इन्कार करे अथवा उसके द्वारा उक्त साठ दिनों के भीतर कोई निर्णय नहीं लिया जाय तो वह विषय कुलाधिपति को संदर्भित कर दिया जायगा, जिनका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।
- (4) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेंगे जो परिनियम या विनियम द्वारा विहित किये जायें।
- (5) कुलपति विश्वविद्यालय के कार्यकारिणी परिषद्, वित्त समिति, अकादमिक परिषद् के अध्यक्ष होंगे।
- (6) कुलपति, कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे एवं कार्यकारिणी परिषद्, अकादमिक परिषद् और वित्त समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

13. कुलपति को हटाया जाना ।—

- (1) ऐसी जाँच जो आवश्यक समझी जाय के बाद, यदि कुलाधिपति को किसी भी समय यह प्रतीत हो कि कुलपति —
 - (i) इस विधेयक, परिनियम या विनियम के द्वारा अधीन उन पर अधिरोपित किसी कर्तव्य के निर्वहन में असफल हो गये हैं, अथवा
 - (ii) विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल रीति से कार्य किये हैं, अथवा
 - (iii) विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों का प्रबंधन करने में असमर्थ रहे हैं, तो कुलाधिपति, इस तथ्य के होते हुए भी कि कुलपति का कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ है, लिखित आदेश द्वारा, उसमें कारण अधिकथित करते हुए और राज्य

सरकार के परामर्श से कुलपति से, आदेश में यथा विनिर्दिष्ट तिथि से, अपने पद से त्याग पत्र देने की अपेक्षा कर सकेंगे।

- (2) उपधारा (1) के अधीन तब तक कोई आदेश पारित नहीं किया जायेगा जब तक विनिर्दिष्ट आधारों, जिस पर वह कार्यवाई प्रस्तावित हो, को अधिकथित करते हुए, एक सूचना तामिल न की गयी हो और प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण बताने हेतु युक्तियुक्त अवसर कुलपति को न दे दिया गया हो।
- (3) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट तिथि को या से यह समझा जायेगा कि कुलपति ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है और कुलपति का पद खाली समझा जायेगा।

14. डीन — प्रत्येक डीन उस रीति से नियुक्त किये जायेंगे और उन शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा उन कर्तव्यों का पालन करेंगे जो परिनियम द्वारा विहित किये जायें।

15. रजिस्ट्रार —

- (1) रजिस्ट्रार उस रीति से तथा सेवा के उन निबंधन और शर्तों पर नियुक्त किये जायेंगे जो परिनियम द्वारा विहित किये जायें। तथापि, विश्वविद्यालय के प्रथम रजिस्ट्रार सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे तथा तीन वर्षों तक अथवा परिनियम में विहित रीति के अनुसार नियुक्ति होने तक, जो पहले हो, तक पद धारण करेंगे।
- (2) रजिस्ट्रार को विश्वविद्यालय की ओर से करार करने, दस्तावेजों को हस्ताक्षरित करने तथा अभिलेखों का अधिप्रमाणीकृत करने की शक्ति होगी तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो परिनियम द्वारा विहित किये जायें।

16. वित्त पदाधिकारी — वित्त पदाधिकारी, उस रीति से और सेवा के उन निबंधन एवं शर्तों पर नियुक्त किये जायेंगे तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो परिनियम द्वारा विहित किये जायें। तथापि, विश्वविद्यालय के प्रथम वित्त पदाधिकारी सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे तथा तीन वर्षों तक अथवा परिनियम में विहित रीति के अनुसार नियुक्ति होने तक, जो पहले हो, तक पद धारण करेंगे।

17. परीक्षा नियंत्रक — परीक्षा नियंत्रक, उस रीति से और सेवा के उन निबंधन एवं शर्तों पर नियुक्त किये जायेंगे तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो परिनियम द्वारा विहित किये जायें।

तथापि, विश्वविद्यालय के प्रथम परीक्षा नियंत्रक सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे तथा तीन वर्षों तक अथवा परिनियम में विहित रीति के अनुसार नियुक्ति होने तक, जो पहले हो, तक पद धारण करेंगे।

18. अन्य पदाधिकारी — विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की रीति, शक्तियाँ तथा कर्तव्य वही होंगे जो परिनियम द्वारा विहित किए जायें।

19. विश्वविद्यालय के प्राधिकार — विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकार होंगे:—

- (1) सामान्य परिषद्
 - (i) कुलाधिपति;
 - (ii) मंत्री, वित्त विभाग, बिहार सरकार;
 - (iii) मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार सरकार;
 - (iv) मंत्री, विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार;
 - (v) कुलपति;
 - (vi) कुलपति, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय, पटना;
 - (vii) प्रतिनिधि, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्;
 - (viii) मुख्य सचिव, बिहार सरकार;
- (2) कार्यकारिणी परिषद्
- (3) संबद्धता बोर्ड
- (4) अकादमिक परिषद्
- (5) अध्ययन बोर्ड
- (6) वित्त समिति; और
- (7) अन्य ऐसे प्राधिकार जो परिनियम द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकार घोषित किये जायें।

20. सामान्य परिषद् —

- (1) सामान्य परिषद् में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे: —

- (i) कुलाधिपति;
- (ii) मंत्री, वित्त विभाग, बिहार सरकार;
- (iii) मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार सरकार;
- (iv) मंत्री, विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार;
- (v) कुलपति;
- (vi) कुलपति, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय, पटना;
- (vii) प्रतिनिधि, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्;
- (viii) मुख्य सचिव, बिहार सरकार;

- (ix) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, विभाग, वित्त विभाग, बिहार सरकार;
 - (x) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार सरकार;
 - (xi) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार;
 - (xii) निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना;
 - (xiii) निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना;
 - (xiv) कुलाधिपति द्वारा नामित विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दो प्रतिष्ठित व्यक्ति;
 - (xv) प्राचार्य, मुजफ्फरपुर इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एम०आई०टी०), मुजफ्फरपुर;
 - (xvi) रजिस्ट्रार –सदस्य सचिव;
- (2) (i) जहां कोई व्यक्ति अपने पद या नियुक्ति के कारण सामान्य परिषद् का सदस्य बन गया हो, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी जब वह उस पद पर नहीं रहे या उसकी नियुक्ति समाप्त हो जाये;
- (ii) पदेन सदस्यों के अलावा सामान्य परिषद् के नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि तीन वर्षों की होगी;
- (iii) सामान्य परिषद् का कोई सदस्य सदस्य नहीं रहेगा यदि वह इस्तीफा दे देता है या विकृत दिमाग का हो जाता है, या दिवालिया हो जाता है या नैतिक अधमता से जुड़े दांडिक अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है। कुलपति, रजिस्ट्रार के अलावा कोई सदस्य भी सदस्य नहीं रहेगा यदि वह विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार करता है; या यदि वह पदेन सदस्य न होने पर कुलाधिपति की अनुमति के बिना सामान्य परिषद् की लगातार तीन बैठकों में भाग लेने में विफल रहता है;
- (iv) पदेन सदस्य के अलावा सामान्य परिषद् का कोई सदस्य कुलाधिपति को संबोधित पत्र द्वारा अपने पद से इस्तीफा दे सकेगा और ऐसा इस्तीफा स्वीकार किए जाने के तुरंत बाद प्रभावी होगा;
- (v) सामान्य परिषद् में किसी भी रिक्ति को संबंधित नामांकन प्राधिकारी द्वारा कार्यकाल की शेष अवधि के लिए नामांकन से भरा जायेगा और रिक्ति की अवधि की समाप्ति पर ऐसा नामांकन प्रभावी नहीं रहेगा;
- (3) सामान्य परिषद् की शक्तियाँ, कार्य और बैठकें।—
- (1) सामान्य परिषद् विश्वविद्यालय का पूर्ण प्राधिकार होगा और समय-समय पर विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार और समीक्षा करेगा और विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए उपाय करेगा और उसके पास निम्नलिखित शक्तियाँ और कार्य भी होंगे:—
- (i) कार्यकारिणी परिषद् द्वारा तैयार वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय विवरण और बजट प्राक्कलनों पर विचार करना और उन्हें पारित करना और उपांतरण के साथ या बिना उन्हें अपनाना;
 - (ii) अपने कार्यों के निर्वहन में विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों और प्राधिकारियों द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं को निर्धारित करने सहित विश्वविद्यालय के मामलों के प्रशासन से संबंधित परिनियम बनाना;
- (2) (i) कुलाधिपति के परामर्श के आलोक में कार्यकारिणी परिषद् अथवा कुलपति के द्वारा निर्धारित तिथि पर सामान्य परिषद् की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी;
- (ii) कुलपति द्वारा पिछले वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के कामकाज की एक रिपोर्ट, प्राप्तियों और व्यय विवरणों के साथ, यथासंपरीक्षित बैलेंस शीट, और

वित्तीय प्राक्कलनों को अपनी वार्षिक बैठकों में सामान्य परिषद् को प्रस्तुत किए जाएंगे;

- (iii) कुलाधिपति द्वारा सामान्य परिषद् की बैठकें या तो अपने प्रस्ताव पर या सामान्य परिषद् के कम से कम दस सदस्यों की मांग पर बुलाई जाएंगी;
- (iv) सामान्य परिषद् की प्रत्येक बैठक के लिए चौदह दिन का नोटिस दिया जाएगा;
- तथापि, आकस्मिक स्थिति में कुलाधिपति द्वारा अल्प सूचना पर सामान्य परिषद् की बैठक बुलाई जा सकेगी;
- (v) सामान्य परिषद् की पंजी में मौजूद एक तिहाई सदस्यों से गणपूर्ति होगी;
- (vi) प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होगा और यदि सामान्य परिषद् द्वारा निर्धारित किए जाने वाले किसी प्रश्न पर मतों की समानता होती है, तो बैठक की अध्यक्षता करने वाले कुलाधिपति के पास, अपने मत के अलावा, एक निर्णायक मत होगा;

21. कार्यकारिणी परिषद्।—

- (1) कार्यकारिणी परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी निकाय होगा।
- (2) कार्यकारिणी परिषद् में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे: —
 - (i) कुलपति;
 - (ii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार या उनका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के पद से अन्यून हो;
 - (iii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार सरकार या उनका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के पद से अन्यून हो;
 - (iv) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार या उनका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के पद से अन्यून हो;
 - (v) निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना या उसका प्रतिनिधि जो प्राध्यापक के पद से अन्यून हो;
 - (vi) निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना या उसका प्रतिनिधि जो प्राध्यापक के पद से अन्यून हो;
 - (vii) निदेशक, विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार;
 - (viii) प्राचार्य, मुजफ्फरपुर इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एम०आई०टी०), मुजफ्फरपुर;
 - (ix) विभागाध्यक्ष, असैनिक अभियंत्रण, एम०आई०टी०, मुजफ्फरपुर;
 - (x) रजिस्ट्रार (कुलसचिव) — सदस्य—सचिव;
- (3) कुलपति कार्यकारिणी परिषद् के अध्यक्ष होंगे;
 - (i) जहां कोई व्यक्ति अपने पद या नियुक्ति के कारण कार्यकारिणी परिषद् का सदस्य बन गया हो, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी जब वह उस पद पर नहीं रहे या उसकी नियुक्ति समाप्त हो जाये;
 - (ii) पदेन सदस्यों के अलावा कार्यकारिणी परिषद् के मनोनीत सदस्यों की पदावधि तीन वर्षों की होगी;
 - (iii) कार्यकारिणी परिषद् का कोई सदस्य सदस्य नहीं रहेगा यदि वह त्यागपत्र दे देता है या विकृत दिमाग का हो जाता है या दिवालिया हो जाता है या नैतिक अधमता से जुड़े दांडिक अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है। कुलपति तथा रजिस्ट्रार के अलावा कोई अन्य सदस्य

भी सदस्य नहीं रहेगा यदि वह विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार करता है;

- (iv) पदेन सदस्य के अलावा कार्यकारिणी परिषद् का कोई सदस्य कुलपति को संबोधित एक पत्र द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा और ऐसा त्यागपत्र उसके द्वारा स्वीकार किए जाने के तुरंत बाद प्रभावी होगा;
- (v) कार्यकारिणी परिषद् में किसी भी रिक्ति को संबंधित नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा कार्यकाल की शेष अवधि के लिए नामांकन से भरा जाएगा तथा रिक्ति की अवधि की समाप्ति पर, ऐसा नामांकन प्रभावी नहीं रहेगा।

(4) कार्यकारिणी परिषद् की शक्तियां, कार्य और बैठकें।—

- (1) कार्यकारिणी परिषद् विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यकारी प्राधिकार होगा और इस प्रकार इस विधेयक और इसके तहत बनाये गये परिनियमों के प्रावधानों के अधीन विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए आवश्यक सभी शक्तियां होंगी, और इस प्रयोजन के लिए और इसके उपबंधित विषयों के संबंध में भी विनियम बना सकेंगी।
- (2) कार्यकारिणी परिषद् के पास निम्नलिखित शक्तियां और कार्य होंगे।—
 - (i) सामान्य परिषद् की वार्षिक बैठकों के लिए निम्नलिखित को तैयार करना और प्रस्तुत करना:—
 - (क) विश्वविद्यालय के कामकाज पर एक रिपोर्ट;
 - (ख) खातों का विवरण;
 - (ग) आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए बजट प्रस्ताव।
 - (ii) विश्वविद्यालय के वित्त, खातों, निवेशों, संपत्तियों, व्यवसाय और अन्य सभी प्रशासनिक मामलों का प्रबंधन और विनियमन करना और इस प्रयोजन के लिए समितियों का गठन करना और ऐसी समितियों या विश्वविद्यालय के ऐसे पदाधिकारियों को अधिकार सौंपना जो वह उचित समझे;
 - (iii) विश्वविद्यालय की ओर से किसी चल या अचल संपत्ति का अंतरण करना या अंतरण स्वीकार करना;
 - (iv) विश्वविद्यालय की ओर से संविदा करना, उसमें बदलाव करना, उसे पूरा करना और रद्द करना और उस प्रयोजन के लिए ऐसे पदाधिकारियों को नियुक्त करना जिन्हें वह उचित समझे;
 - (v) विश्वविद्यालय के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक भवन, परिसर, फर्नीचर और उपकरण और अन्य साधन उपलब्ध कराना;
 - (vi) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों की किसी भी शिकायत पर विचार करना, उस पर निर्णय करना और यदि वह उचित समझे तो उसका निवारण करना;
 - (vii) प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना, ऐसे पदों की संख्या और परिलब्धियों का निर्धारण करना, ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएँ सेवा के उन निबंधन और शर्तों पर विनिर्दिष्ट करना जो इस निमित्त बनाए गए परिनियमों एवं विनियमों द्वारा विहित किया जाय;
 - (viii) परीक्षकों और अनुसीमकों (मॉडरेटर्स) को नियुक्त करना, और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना और उनकी फीस, परिलब्धियां और

यात्रा और अन्य भत्ते अकादमिक परिषद् से परामर्श करने के बाद नियत करना;

- (ix) विश्वविद्यालय के लिए एक सामान्य मुहर का चयन करना; तथा
 - (x) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो आवश्यक समझा जाय या इस विधेयक के द्वारा या इसके अधीन उस पर अधिरोपित किया जाये।
- (3) (i) कार्यकारिणी परिषद् की बैठक कम से कम चार महीने में एक बार होगी और ऐसी बैठकों की कम से कम चौदह दिन की सूचना दी जाएगी;
- (ii) कार्यकारिणी परिषद् की बैठक कुलपति के निदेशों के अधीन या कार्यकारिणी परिषद् के कम से कम पाँच सदस्यों के अनुरोध पर रजिस्ट्रार द्वारा बुलाई जाएगी;
- (iii) कार्यकारिणी परिषद् के आधे सदस्यों से किसी भी बैठक की गणपूर्ति होगी;
- (iv) सदस्यों के बीच मतभेद के मामले में, बहुमत की राय अभिभावी होगी;
- (v) कार्यकारिणी परिषद् के प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होगा और यदि कार्यकारिणी परिषद् द्वारा निर्धारित किए जाने वाले किसी भी प्रश्न पर मतों की समानता होती है, तो यथास्थिति कार्यकारिणी परिषद् के अध्यक्ष या उस बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य के पास अपने मत के अलावा एक निर्णायक मत होगा;
- (vi) कार्यकारिणी परिषद् की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता कुलपति द्वारा और उनकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुने गए सदस्य द्वारा की जाएगी;
- (vii) यदि कार्यकारिणी परिषद् द्वारा तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो जाती है, तो कुलपति कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों को कागजात के संचलन द्वारा कार्य करने की अनुमति दे सकेंगे। इस प्रकार लिए गए निर्णय तब तक मान्य नहीं होंगे जब तक कि कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों के बहुमत द्वारा सहमति नहीं दी जाती है। ऐसे निर्णय कार्यकारिणी परिषद् के सभी सदस्यों को तत्काल सूचित किये जाएंगे। यदि कार्यकारिणी परिषद् निर्णय लेने में विफल रहती है तो मामला कुलाधिपति को भेजा जाएगा जिनका निर्णय अंतिम होगा।

22. अकादमिक परिषद् I—

- (1) अकादमिक परिषद् विश्वविद्यालय की प्रमुख अकादमिक निकाय होगी और इस विधेयक, परिनियम और विनियमों के प्रावधानों के अधीन, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का समन्वय और सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।
- (2) अकादमिक परिषद् में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्;
 - (i) कुलपति, अध्यक्ष होंगे;
 - (ii) निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना या उसका प्रतिनिधि जो प्राध्यापक के पद से अन्यून हो;
 - (iii) निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना या उसका प्रतिनिधि जो प्राध्यापक के पद से अन्यून हो;
 - (iv) निदेशक, विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार;
 - (v) विभागाध्यक्ष, वास्तुकला विभाग, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना;
 - (vi) प्राचार्य, मुजफ्फरपुर इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुजफ्फरपुर

- (vii) शिक्षण कर्मी के तीन सदस्य; एक-एक क्रमशः राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक का प्रतिनिधित्व करते हों; कुलपति द्वारा तीन वर्षों के लिए नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे।
- (viii) रजिस्ट्रार – सदस्य सचिव।
- (3) अकादमिक परिषद् की शक्तियाँ कार्य और बैठक— विधेयक, परिनिमय और विनियम के उपबंधों और कार्यकारिणी परिषद् के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन, अकादमिक परिषद् विश्वविद्यालय में अकादमिक मामलों का प्रबंधन करेगी और विशेष रूप से निम्नलिखित शक्तियों और कार्यों का प्रयोग और पालन करेगी अर्थात्
- (i) सामान्य परिषद् या कार्यकारिणी परिषद् द्वारा निर्दिष्ट या सौंपे गए किसी भी मामले पर रिपोर्ट करना;
 - (ii) विश्वविद्यालय में पदों के सृजन, उन्मूलन या वर्गीकरण और देय परिलब्धियों और उससे जुड़े कर्तव्यों के संबंध में कार्यकारिणी परिषद् को सिफारिशें करना;
 - (iii) संकायों के संगठन के लिए योजनाओं को तैयार करना और उपांतरित करना या संशोधित करना और ऐसे संकायों को उनके संबंधित विषयों को सौंपना और कार्यकारिणी परिषद् को किसी भी संकाय के उन्मूलन या उप-विभाजन या एक के संयोजन की समीचीनता के बारे में रिपोर्ट करना;
 - (iv) विश्वविद्यालय के अधीन अनुसंधान को बढ़ावा देना और समय-समय पर इस तरह के अनुसंधान पर रिपोर्ट की अपेक्षा करना;
 - (v) संकायों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करना;
 - (vi) अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थाओं की डिग्री की मान्यता की सिफारिश करना और विश्वविद्यालय के प्रमाण पत्र, डिप्लोमा और डिग्री के संबंध में उनकी समकक्षता का निर्धारण करना;
 - (vii) सामान्य परिषद् द्वारा स्वीकार की गई किसी भी शर्त के अधीन, फेलोशिप, छात्रवृत्ति और अन्य पुरस्कारों के लिए प्रतिस्पर्धा का समय, तरीका और शर्तें तय करना और उसी के पुरस्कार के लिए सिफारिश करना;
 - (viii) परीक्षकों की नियुक्ति और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाने और उनकी फीस, परिलब्धियाँ और यात्रा और अन्य खर्चों के संबंध में कार्यकारिणी परिषद् को सिफारिशें करना;
 - (ix) परीक्षाओं के संचालन की व्यवस्था और उन्हें आयोजित करने की तारीख की सिफारिश करना;
 - (x) विभिन्न परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा या समीक्षा करना या ऐसा करने के लिए समितियों या पदाधिकारियों को नियुक्त करना और डिग्री, सम्मान, अनुज्ञप्ति, उपाधि और सम्मान चिह्न प्रदान करने या प्रदान करने के संबंध में सिफारिशें करना;
 - (xi) वजीफा, छात्रवृत्ति, पदक और पुरस्कार की सिफारिश करना और विनियमों के अनुसार और ऐसी अन्य शर्तों पर अन्य पुरस्कार देना जो पुरस्कारों से संलग्न किये जायें;
 - (xii) निर्धारित या अनुशंसित पाठ्य पुस्तकों की सूचियों को अनुमोदित या संशोधित करना एवं प्रकाशित करना और अध्ययन के निर्धारित पाठ्यक्रमों एवं पाठ्य विवरणों को अनुमोदित करना;
 - (xiii) ऐसे प्रपत्रों और रजिस्ट्रारों को अनुमोदित करना जो समय-समय पर विनियमों द्वारा अपेक्षित हों।

- (xiv) शैक्षणिक मामलों के संबंध में, ऐसे सभी कर्तव्यों का पालन करना और ऐसे सभी कार्य करना जो इस अधिनियम, परिनियम और इस तहत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हो।
- (4) (i) अकादमिक परिषद् जितनी बार आवश्यक हो, बैठक करेगी, लेकिन एक अकादमिक वर्ष के दौरान कम से कम दो बार बैठक होगी;
- (ii) अकादमिक परिषद् के मौजूदा सदस्यों में से आधे सदस्यों से अकादमिक परिषद् की बैठक की गणपूर्ति होगी;
- (iii) सदस्यों के बीच मतभेद होने की दशा में बहुमत की राय अभिभावी होगी;
- (iv) अकादमिक परिषद् के अध्यक्ष सहित अकादमिक परिषद् के प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होगा और यदि अकादमिक परिषद् द्वारा निर्धारित किए जाने वाले किसी भी प्रश्न पर मतों की समानता होती है तो यथास्थिति अकादमिक परिषद् के अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य के पास अपने मत के अलावा एक निर्णायक मत होगा;
- (v) अकादमिक परिषद् की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता कुलपति द्वारा की जाएगी और उनकी अनुपस्थिति में इस अवसर पर अध्यक्षता करने के लिए बैठक में चुने गए सदस्य द्वारा अध्यक्षता की जाएगी;
- (vi) यदि अकादमिक परिषद् द्वारा तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो जाती है, तो अकादमिक परिषद् के अध्यक्ष अकादमिक परिषद् के सदस्यों को कागजात के संचलन द्वारा कार्य करने की अनुमति दे सकेंगे। लिया गया निर्णय तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि अकादमिक परिषद् के सदस्यों के बहुमत से सहमति न हो। इस प्रकार लिए गए निर्णय की सूचना अकादमिक परिषद् के सभी सदस्यों को तत्काल दी जाएगी। यदि अकादमिक परिषद् निर्णय लेने में विफल रहती है, तो मामला कुलाधिपति को संदर्भित किया जायेगा जिनका निर्णय अंतिम होगा।

23. अध्ययन बोर्ड — अध्ययन बोर्ड का गठन, शक्तियाँ एवं कृत्य परिनियम द्वारा विहित किये जायेंगे।

24. संबद्धता बोर्ड —

- (1) संबद्धता बोर्ड विश्वविद्यालय से महाविद्यालयों एवं संस्थाओं को संबद्धता देने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (2) संबद्धता बोर्ड का गठन, इसके सदस्यों का कार्यकाल तथा उसके कृत्य परिनियम द्वारा विहित किये जायेंगे।

25. वित्त समिति — वित्त समिति का गठन, शक्तियाँ एवं कृत्य परिनियम द्वारा विहित किये जायेंगे।

26. अन्य प्राधिकार— विश्वविद्यालय के प्राधिकार होने के लिए परिनियम द्वारा घोषित अन्य प्राधिकारों का गठन, शक्तियाँ एवं कृत्य परिनियम द्वारा विहित किये जायेंगे।

27. परिनियम बनाने की शक्ति — इस विधेयक के प्रावधानों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित सभी विषयों या किसी के लिए परिनियम का प्रावधान किया जा सकेगा अर्थात् :—

- (1) विश्वविद्यालय के प्राधिकार तथा अन्य निकायों का गठन जो समय-समय पर गठित किया जाना आवश्यक पाया जाय तथा उनकी शक्तियाँ एवं कृत्य;
- (2) विश्वविद्यालय के उक्त प्राधिकारों एवं निकायों के सदस्यों की नियुक्ति तथा उन्हें पद पर बनाये रखना, सदस्यों की रिक्तियों को भरना तथा उन प्राधिकारों एवं अन्य निकायों से संबंधित सभी अन्य विषय जिनके लिए प्रावधान करना आवश्यक एवं वांछनीय हो;
- (3) विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियाँ और कर्तव्य तथा उनकी सेवा के निबंधन एवं शर्तें;
- (4) पेंशन या भविष्य निधि का गठन तथा विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लाभ के लिए बीमा स्कीम की स्थापना;
- (5) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की वरीयता को निर्धारित करनेवाले सिद्धांत;

- (6) कर्मचारियों या छात्रों तथा विश्वविद्यालयों के बीच विवाद की दशा में मध्यस्थता की प्रक्रिया;
- (7) विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी या प्राधिकार की कार्यवाही के विरुद्ध कर्मचारी अथवा छात्र द्वारा कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अपील की प्रक्रिया;
- (8) स्वायत्तता का विस्तार, जिसे कोई महाविद्यालय या संस्था एक स्वायत्त महाविद्यालय संस्था के रूप में घोषित करें, का प्रयोग कर सकेंगे;
- (9) मानद डिग्रियाँ प्रदान करना;
- (10) डिग्री, सर्टिफिकेट एवं अन्य उपाधियों की वापसी;
- (11) अध्येतावृत्ति (फेलोशीप), छात्रवृत्ति, अध्ययनवृत्ति, पदक तथा इनाम एवं अन्य प्रोत्साहन संस्थित करना; विश्वविद्यालय के प्राधिकारों या पदाधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन, और;
- (12) सभी अन्य विषय, जो इस विधेयक द्वारा या इसके अधीन परिनियम द्वारा उपबंध किये गये हों अथवा किये जायें।

28. परिनियम कैसे बनाया जायेगा ।—

- (1) प्रथम परिनियम सामान्य परिषद् की अनुशंसा पर सरकार द्वारा बनाया जायेगा।
- (2) सामान्य परिषद्, समय-समय पर, नया अथवा अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी अथवा उपधारा (1) में निर्देशित परिनियम को संशोधित अथवा निरसित कर सकेगी;

परन्तु सामान्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार की स्थिति, शक्ति अथवा गठन को प्रभावित करने वाला कोई परिनियम नहीं बनायेगी, संशोधित अथवा निरसित नहीं करेगी जब तक उस प्राधिकार को, प्रस्तावित परिवर्तन पर, लिखित रूप से, अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और उस अभिव्यक्त राय पर सामान्य परिषद् द्वारा विचार न कर लिया गया हो।

- (3) प्रत्येक नये परिनियम या परिनियम में परिवर्धन अथवा उसके संशोधन या निरसन में कुलाधिपति की सहमति अपेक्षित होगी।

परन्तु यदि कोई वित्तीय निहितार्थ परिनियम के तहत उत्पन्न हो, तो यह तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं कर लिया जाये।

29. विनियम ।— विश्वविद्यालय के प्राधिकार, इस विधेयक और परिनियम के अनुरूप अपने स्वयं के कार्य के संचालन के लिए विहित रीति से और समितियों के लिए, यदि कोई हो, जो उनके द्वारा नियुक्त हों और इस विधेयक, परिनियम द्वारा उपबंधित न हों तथा ऐसे विषयों के लिए जो परिनियम द्वारा विहित किये जायें विनियम बना सकेंगे। परन्तु यदि कोई वित्तीय निहितार्थ विनियम के तहत उत्पन्न हों, तो यह तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं कर लिया जाये।

30. वार्षिक प्रतिवेदन ।—

- (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन कार्यकारिणी परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार किया जायेगा जिसमें अन्य विषय एवं विश्वविद्यालय द्वारा इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाये गये कदम सम्मिलित होंगे तथा परिनियम द्वारा यथाविहित तिथि को या उसके बाद सामान्य परिषद् को समर्पित किये जायेंगे और सामान्य परिषद् अपनी वार्षिक बैठक में विचार करेगी।
- (2) सामान्य परिषद् अपनी टिप्पणी, यदि कोई हो, के साथ वार्षिक प्रतिवेदन कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी।
- (3) उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गए वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सरकार को भी प्रस्तुत की जायेगी।

31. निधि ।—

- (1) विश्वविद्यालय की एक सामान्य निधि होगी जिसमें निम्नलिखित जमा किये जायेंगे :—

- (i) फीस, अनुदान, दान एवं उपहार, यदि कोई हो;
- (ii) राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय संस्था, केंद्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वास्तु परिषद् (सी०ओ०ए०), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा दिया गया कोई अंशदान या अनुदान और;
- (iii) विन्यास एवं अन्य प्राप्तियाँ।

- (2) विश्वविद्यालय को ऐसी अन्य निधि हो सकेगी जो परिनियम द्वारा विहित की जाये।
- (3) विश्वविद्यालय की निधि और सभी धन का प्रबंधन उस रीति से किया जायेगा जो परिनियम द्वारा विहित की जाय।
- (4) सरकार, प्रत्येक वर्ष, अध्ययन एवं शोध के उन्नयन एवं उसे सुकर बनाने एवं विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान उपलब्ध करा सकेगी।

32. लेखा एवं लेखा परीक्षा ।—

- (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा एवं बैलेंस शीट कार्यकारिणी परिषद् के निदेश के अधीन तैयार किया जायगा और प्रत्येक वर्ष कम-से-कम एक बार अथवा कम-से-कम पंद्रह माह के अन्तराल पर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा, जिसे इस निमित्त उनके द्वारा अधिकृत किया जाय, लेखा परीक्षा कराया जाएगा।
- (2) वार्षिक लेखा की एक प्रति अंकक्षण प्रतिवेदन के साथ, कार्यकारिणी परिषद् की टिप्पणी के साथ, यदि कोई हो, सामान्य परिषद् और कुलाधिपति को प्रस्तुत की जायगी।
- (3) वार्षिक लेखा पर कुलाधिपति द्वारा की गयी कोई टिप्पणी सामान्य परिषद् की जानकारी में लायी जायेगी तथा सामान्य परिषद् की टिप्पणी यदि कोई हो, कार्यकारिणी परिषद् द्वारा विचार किये जाने के बाद, कुलाधिपति को प्रस्तुत की जायगी।
- (4) वार्षिक लेखा की एक प्रति अंकक्षण प्रतिवेदन के साथ, जो कुलाधिपति को प्रस्तुत की गयी हो, सरकार को भी प्रस्तुत की जायेगी।

33. रिटर्न (विवरणी) आदि प्रेषित किया जाना ।— विश्वविद्यालय ऐसे रिटर्न या अपनी सम्पत्ति या क्रियाकलापों के संबंध में अन्य जानकारी जिसकी सरकार द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाए, सरकार को प्रेषित करेगा।

34. कर्मचारियों की सेवाशर्तें: ।— विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा की शर्तें परिनियमों तथा विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट होंगी।

35. विश्वविद्यालय समीक्षा आयोग का गठन ।—

- (1) कुलाधिपति, अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या सरकार के अनुरोध पर, हर पांच साल में कम से कम एक बार, विश्वविद्यालय के कामकाज की समीक्षा करने और सिफारिशें करने के लिए एक आयोग का गठन करेंगे।
- (2) आयोग का गठन कम से कम तीन प्रख्यात शिक्षाविदों से होगा, जिनमें से एक सरकार के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा नियुक्त ऐसे आयोग का अध्यक्ष होगा।
- (3) सदस्यों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो कुलाधिपति निर्धारित करें।
- (4) आयोग ऐसी जांच करने के बाद जो वह ठीक समझे, सरकार को एक प्रति के साथ कुलाधिपति को अपनी सिफारिशें देगा।
- (5) कुलाधिपति सिफारिशों पर सरकार के परामर्श से ऐसी कार्रवाई कर सकेंगे जो वह ठीक समझे।

36. अपील का अधिकार ।— विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्था का प्रत्येक कर्मचारी या छात्र को, इस विधेयक में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी या प्राधिकार के विनिश्चय के विरुद्ध कुलाधिपति के समक्ष, उस समय के भीतर, जो परिनियम द्वारा विहित किया जाय, अपील करने का अधिकार होगा और तब कुलाधिपति जिस विनिश्चय के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसे संपुष्ट, उपांतरित कर सकेंगे अथवा उलट सकेंगे।

37. भविष्य तथा पेंशन निधि ।— विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी भविष्य निधि या पेंशन निधि का गठन अथवा ऐसी बीमा स्कीम का प्रावधान सरकार के परामर्श से परिनियम द्वारा, यथाविहित रीति से ऐसे शर्तों के अधीन रहते हुए करेगा, जो वह उचित समझे।

38. विश्वविद्यालय के प्राधिकारों एवं निकायों के गठन के संबंध में विवाद ।— यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हो कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या अन्य निकाय का सदस्य सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त है अथवा सदस्य होने का हकदार है तो वह विषय कुलाधिपति को संदर्भित कर दिया जायेगा जिनका उसपर विनिश्चय अंतिम होगा।

39. आकस्मिक रिक्तियों को भरा जाना ।— विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या अन्य निकाय के पदेन सदस्यों के सिवाय, सदस्यों की सभी आकस्मिक रिक्तियाँ, यथाशक्य शीघ्र, उस व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जायेंगी जो सदस्यों को नियुक्त, निर्वाचित या सहयुक्त करता हो और जिसका स्थान रिक्त हो गया हो और आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त, निर्वाचित या सहयुक्त कोई व्यक्ति उस अवशिष्ट अवधि के लिए, उस प्राधिकार या निकाय का सदस्य होगा जिसका स्थान वह भरता हो।

40. विश्वविद्यालय के प्राधिकारों या निकायों की कार्यवाहियों का रिक्तियों के कारण अविधिमान्य नहीं होना ।—

विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों के बीच किसी रिक्ति या रिक्तियों के होने के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

41. सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई का संरक्षण ।—विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी अथवा किसी प्राधिकार के विरुद्ध इस विधेयक, परिनियम, विनियम के किसी प्रावधानों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक किये गए या सद्भाव के आशय से किये गए कुछ भी के लिए कोई वाद या विधिक कार्यवाही नहीं की जायगी।

42. विश्वविद्यालय अभिलेख के सबूत के ढंग ।— भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के प्राधिकार या अन्य निकाय की कोई रसीद, आवेदन, नोटिस, आदेश, कार्यवाही या संकल्प अथवा विश्वविद्यालय के कब्जे में किसी अन्य दस्तावेज अथवा विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से अनुरक्षित किसी रजिस्टर में कोई प्रविष्टि की प्रति इस प्रकार अभिहित रजिस्टर द्वारा यदि प्रमाणित हो तो वह रसीद, आवेदन, नोटिस, आदेश, कार्यवाही या संकल्प या दस्तावेज या रजिस्टर में विद्यमान प्रविष्टि प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रूप में प्राप्त की जायगी और उनके विषयों और उसमें संव्यवहार, जहाँ उसका मूल, यदि उपस्थापित किया जाय वहाँ साक्ष्य के रूप में ग्रहण किये गये हों, को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जायेगा।

43. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।— इस विधेयक के प्रावधानों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसा प्रावधान कर सकेगी जो इस विधेयक के प्रावधानों के असंगत न हो तथा उस कठिनाई को दूर करने हेतु आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस विधेयक के प्रारम्भ होने से तीन वर्षों की समाप्ति के बाद नहीं किया जायगा;

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, बनाये जाने के बाद यथाशीघ्र, विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायगा।

44. संक्रमणकालीन उपबंध ।—इस अधिनियम या विनियमों में किसी भी बात के होते हुए भी, किसी अन्य विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी महाविद्यालय या संस्था का कोई भी छात्र, जो विश्वविद्यालय से संबद्धता की तारीख से ठीक पहले अध्ययन कर रहा था या अन्य विश्वविद्यालयों की किसी भी परीक्षा के लिए पात्र था, को पाठ्यक्रम की तैयारी में इसे पूरा करने की अनुमति दी जाएगी और विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार ऐसे छात्रों के निर्देश, शिक्षण, प्रशिक्षण और परीक्षा के लिए ऐसी अवधि और रीति का उपबंध करेगी जो विहित की जाये।

पूनम सिन्हा,

प्रभारी सचिव।

उद्देश्य एवं हेतु

राज्य में वास्तुकला, असैनिक अभियंत्रण एवं उससे संबंधित विषयों के क्षेत्र में उच्च स्तरीय शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, नवाचार तथा ज्ञान के सृजन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के साथ विकसित भारत के महत्वपूर्ण लक्ष्यों और राज्य सरकार द्वारा सात निश्चय-2 अंतर्गत संचालित एवं सात निश्चय-3 के तहत प्रस्तावित आधारभूत संरचना विकास के कार्यक्रमों की सफलता में वास्तुकला एवं असैनिक क्षेत्र की भागीदारी परिलक्षित है। इसके कारण वास्तुकला, असैनिक अभियंत्रण एवं इससे जुड़े क्षेत्रों में विशिष्ट मानव संसाधन की मांग निरंतर बढ़ रही है। राज्य सरकार द्वारा भी आधारभूत सुविधाओं के सुदृढीकरण, सतत एवं समावेशी विकास तथा सक्षम मानव संसाधन के सृजन पर विशेष बल दिया गया है। इस प्रयोजनार्थ गुणवत्तापूर्ण उच्चस्तरीय शिक्षण के साथ निरंतर अनुसंधान एवं नवाचार तथा उत्कृष्टता केन्द्र विकसित किया जाना ज़रूरी है। राज्य की वर्तमान परिस्थितियों एवं भविष्य की विकास आवश्यकताओं के अनुरूप वास्तुकला, असैनिक अभियंत्रण एवं उससे संबंधित विषयों में उच्चस्तरीय शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार तथा तकनीकी विशेषज्ञता के विकास हेतु एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता है।

इन्हीं उद्देश्यों के पूर्ति के परियोजनार्थ राज्य में एक पृथक "शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय" की स्थापना हेतु "शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक- 2026" को अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(शीला कुमारी)
भार-साधक सदस्य ।

पटना,
दिनांक-22.07.2026

पूनम सिन्हा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 878-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>